न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 71/16 तारीख रजू– 18/05/2016

प्रेमसिंह पुत्र श्री बृजमोहन जाति जाट निवासी ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर –अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील वजीरपुर –– रेस्पो0

निर्णय दिनांक–05/10/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तहसील वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 575 मे पारित आदेश दिनांक 04/09/15 में अपीलार्थी को अतिक्रमण करने का आदी होना मानकर 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी किये गये नोटिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील नही हुई है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का मात्र खसरा नम्बर 191 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर कब्जा माना है , जबकि उक्त चरागाह से लगते हुए अपीलांट के खेतों की भूमि है। पटवारी हल्का कई बार नाप–तौल की कहने के पश्चात् भी पटवारी हल्का द्वारा नाप–तौल नहीं की गई। पटवारी हल्का द्वारा यदि अपीालान्ट को नाप–तौल कर यह बताया जाता कि 0.18है0 चरागाह भूमि पर कब्जा है तो अपीलान्ट कभी भी उसे काश्त नहीं करता । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावें।

प्रेमसिंह

8/A

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 4/09/15 की पालना मे अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई तिथि के नोटिस जारी किये गये है । लेकिन नोटिस पर सिर्फ अगूठा निशानी लगी हुई है, जिस पर भाई अंकन किया हुआ है। नोटिस किसकों दिया गया उसका नाम पिता का नाम पूर्ण विवरण अंकित नहीं है। नोटिस की पूर्ण तामील हुए बिना ही अदालत मातहत ने अपना निर्णय सुना दिया है। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन की उसे सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया है सत्य है। अपीलार्थी ने उक्त आराजीयात 0.18 है0 किस्म चरागाह की जाानकारी नहीं होना बताया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मु0नं0 575 निर्णय दिनांक 13/08/15 द्वारा सम्वत् 2071 में भी अपीलान्ट को उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण होने के कारण बेदखल करने का आदेश पारित किया जाना बताया गया है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 28/02/14 के क्रम में अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया गया है अथवा नहीं इस सबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट ,नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को उक्त चरागाह भूमि की कोई जानकारी नहीं थी।यहां मैं उल्लेख करना चाहूँगा, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अतिचारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया हो और पूर्व में किये गये अतिक्रमण से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है तो अतिक्रमी सिविल कारावास के दण्ड का भागीदार होगा। पत्रावली में कही भी कोई ऐसा दस्तावेज संलग्न नहीं है , जिससे अतिक्रमी को चरागाह भूमि की जानकारी होना ज्ञात होता हो एवं अतिक्रमि को भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय द्वारा अतिक्रमि को सुनाई गई 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को खारिज किया जाता है। मातहत न्यायालय के शेष आदेश को यथावत रखा जाता है, साथ ही तहसीलदार वजीरपुर को यह निर्देशित किया जाता है कि वो उक्त वाद आराजीयात पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल मिसल करे।

निर्णय आज दिनांक 05/10/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर